



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3021]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 27, 2017/कार्तिक 5, 1939

No. 3021]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 27, 2017/KARTIKA 5, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2017

**का.आ. 3452(अ).**—अभिसमय का संशोधन करने वाला प्रोटोकॉल और दोहरे कराधान के परिवर्जन और आय पर करों के बारे में राजकोषीय अपबन्धन निवारण के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा स्लोवेनिया गणराज्य की सरकार के बीच प्रोटोकॉल, जिस पर 13 जनवरी, 2003 की ल्जुबल्जना में हस्ताक्षर किए गए थे;

इस अधिसूचना से संलग्न उपाबंध में यथा उपवर्णित और जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त संशोधनकारी प्रोटोकॉल कहा गया है, 17 मई, 2016 को ल्जुबल्जाना, स्लोवेनिया में हस्ताक्षर किए गए थे;

और जबकि संशोधनकारी प्रोटोकॉल के प्रवृत्त होने की तारीख 21 दिसंबर, 2016 है जो उक्त संशोधनकारी प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 3 के पैरा 1 के अनुसार उक्त संशोधनकारी प्रोटोकॉल को प्रभावी करने के लिए विधिक अपेक्षाओं और प्रक्रियाओं को पूरा करने की अधिसूचनाओं के पश्चात् की तारीख है;

और जबकि उक्त, संशोधनकारी प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 3 के पैरा 2 में यह उपबंध है कि इसके उपबंध उस तारीख जिसको यह प्रवृत्त होता है, ठीक बाद के तीसरे मास के प्रथम दिन से प्रभावी होंगे;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अधिसूचित करती है कि उक्त संशोधनकारी प्रोटोकॉल के सभी उपबंध 1 मार्च, 2017, जो उस तारीख जिसको उक्त संशोधनकारी प्रोटोकॉल प्रवृत्त होता है, ठीक बाद के तीसरे मास का प्रथम दिन है, से भारत संघ में प्रभावी होंगे।

[अधिसूचना सं. 90/ फा. सं. 501/04/1992-एफ टीडी-आई]

प्रजा एस. सक्सेना, संयुक्त सचिव

**अनुबंध 1**

**आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा स्लोवेनिया गणराज्य की सरकार के बीच अभिसमय तथा प्रोटोकॉल, जिस पर ल्जुबल्जाना में 13 जनवरी, 2003 को हस्ताक्षर किये गये थे, का संशोधनकारी प्रोटोकॉल**

भारत गणराज्य की सरकार

और

स्लोवेनिया गणराज्य की सरकार

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा स्लोवेनिया गणराज्य की सरकार के बीच अभिसमय तथा प्रोटोकॉल, जिस पर ल्जुबल्जाना में 13 जनवरी, 2003 को हस्ताक्षर किये गये थे, और जो 17 फरवरी, 2005 को प्रभावी हुआ था (इसे इसके बाद "अभिसमय" जायेगा) को संशोधित करने के लिए एक प्रोटोकॉल (इसे इसके बाद "संशोधनकारी प्रोटोकॉल" कहा जायेगा) निष्पन्न करने की इच्छा से,

इस प्रकार सहमत हुए हैं:

**अनुच्छेद 1**

अभिसमय के अनुच्छेद 26 (सूचनाओं का आदान-प्रदान) का लोप कर दिया जाएगा और उसे निम्नलिखित अनुच्छेद से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

**"अनुच्छेद 26****सूचनाओं का आदान-प्रदान**

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचनाओं (दस्तावेजों अथवा दस्तावेजों की अधिप्रमाणित प्रतियों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे जो कि इस अभिसमय के उपबंधों को अथवा संविदाकारी राज्यों अथवा उनके राजनैतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से लगाए गए प्रत्येक प्रकार एवं विवरण के करों के संबंध में घरेलू कानूनों के प्रशासन अथवा प्रवर्तन को क्रियान्वित करने के लिए अनुमानतः संगत हैं, जहां तक उनके अधीन कराधान इस अभिसमय के प्रतिकूल न हों। सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।

2. संविदाकारी राज्य द्वारा पैराग्राफ 1 के अंतर्गत प्राप्त की गई कोई सूचना उस राज्य के आंतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त सूचना के समान ही गुप्त समझी जाएगी और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (न्यायालय और प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो पैराग्राफ 1 में उल्लिखित करों के संबंध में करों के निर्धारण, अथवा उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा अपीलों का निर्धारण करने या उपर्युक्त की चूक से संबद्ध हो। ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोजन के लिए करेंगे। वे इस सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे। भले ही पूर्वोक्त में कुछ भी कहा गया हो, संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई सूचनाएं दूसरे प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जा सकती हैं, जब ऐसी सूचनाओं का प्रयोग दोनों राज्यों के कानूनों के तहत ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकता हो तथा आपूर्तिकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारी ऐसे प्रयोग को प्राधिकृत करते हों।

3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा:

(क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना;

(ख) ऐसी सूचनाओं की आपूर्ति करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है;

(ग) ऐसी सूचना की सप्लाई करना जिससे कोई व्यापार, कारोबार, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक रहस्य अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति (आर्डर पब्लिक) के प्रतिकूल हो।

4. इस अनुच्छेद के अनुसरण में यदि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा किसी सूचना का अनुरोध किया गया हो, तो दूसरा संविदाकारी राज्य अनुरोध की गई सूचना प्राप्त करने के लिए अपने सूचना एकत्र करने वाले उपायों का उपयोग करेगा, भले ही दूसरे राज्य को अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना की आवश्यकता न हो। पिछले वाक्य में अन्तर्निहित दायित्व पैराग्राफ 3 की सीमाओं के अधीन है, किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसी सीमाओं का यह अर्थ नहीं होगा कि संविदाकारी राज्य केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करते हैं कि ऐसी सूचना में उसका कोई आंतरिक हित नहीं है।

5. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 3 के उपबंधों का अर्थ केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करने के लिए किसी संविदाकारी राज्य को अनुमति देने के लिए नहीं लगाया जाएगा कि सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, किसी एजेंसी या किसी न्यासी क्षमता में कार्यरत नामिती या व्यक्ति के पास है या यह किसी व्यक्ति के स्वामित्व हित से संबंधित है।"

### अनुच्छेद 2

एक नया अनुच्छेद, जैसा कि नीचे दिया गया है, अनुच्छेद 26 के बाद जोड़ा जाएगा तथा शेष अनुच्छेदों को तदनुसार दुबारा क्रमांकित किया जायेगा।

### "अनुच्छेद 27

#### करों के संग्रहण में सहायता

1. संविदाकारी राज्य कर दावों की वसूली में एक दूसरे को सहायता देंगे। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी इस अनुच्छेद के अनुप्रयोग की विधि परस्पर सहमति द्वारा तय कर सकते हैं।

2. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त शब्द "राजस्व दावा" का तात्पर्य करों के संबंध में किसी धनराशि, जैसा कि अनुच्छेद 2 में उल्लिखित है, के साथ-साथ ऐसी राशि से संबंधित ब्याज, प्रशासनिक अर्थ-दंड और वसूली की लागत अथवा ऐसी राशि के संरक्षण के संबंध में बकाया धनराशि है।

3. जब किसी संविदाकारी राज्य का कर दावा उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत प्रवर्तनीय हो और यह किसी व्यक्ति द्वारा देय हो जो उस समय उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत इसकी वसूली को रोक नहीं सकता, तब उस कर दावे को उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा वसूली के प्रयोजनार्थ स्वीकार किया जाएगा। उस कर दावे को उस राज्य द्वारा अपने स्वयं के करों के प्रवर्तन और वसूली, मानो कि कर दावा उस दूसरे राज्य का कर दावा था, के लिए प्रयोज्य इसके कानूनों के उपबंधों के अनुसार उस दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा वसूल किया जाएगा।

4. जब किसी संविदाकारी राज्य का कर दावा ऐसा दावा है जिसके संबंध में वह राज्य, अपने कानून के अंतर्गत, इसकी वसूली को सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण के उपाय करता है तब उस कर दावे को उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा संरक्षण के उपाय करने के प्रयोजनार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा। वह दूसरा राज्य उस कर दावे के संबंध में अपने कानूनों के उपबंधों के अनुसार संरक्षण के उपाय करेगा, मानो कि कर दावे उस दूसरे राज्य के कर दावे हों, यहां तक कि जब ऐसे उपायों का प्रयोग किया जाता है, कर दावा प्रथमोल्लिखित राज्य में प्रवर्तनीय नहीं है अथवा उस व्यक्ति द्वारा देय है जिसे उसकी वसूली रोकने का अधिकार है।

5. जब कोई संविदाकारी राज्य अपने कानून के तहत किसी व्यक्ति के विरुद्ध कर दावा किए जाने से पहले उसकी संपत्तियों पर रोक लगाकर संरक्षण के उपाय कर सकती हो, तो प्रथम संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुरोध करने पर, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी उस संविदाकारी राज्य में उस व्यक्ति की संपत्तियों पर रोक लगाने का उपाय करेंगे।

6. पैराग्राफ 3 और 4 के उपबंधों के होते हुए भी पैराग्राफ 3 अथवा 4 के प्रयोजनार्थ किसी संविदाकारी राज्य द्वारा स्वीकार किया गया कर दावा उस राज्य में किसी समय सीमा के अध्यक्षीन नहीं होगा अथवा उसी रूप में उसे इसके स्वरूप के कारण उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत किसी कर दावे के प्रयोज्य कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, पैराग्राफ 3 अथवा 4 के प्रयोजनार्थ किसी संविदाकारी राज्य द्वारा स्वीकार किए गए कर दावे को उस राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत उस कर दावे पर कोई प्राथमिकता लागू नहीं होगी।

7. किसी संविदाकारी राज्य के कर दावे के अस्तित्व, वैधता अथवा राशि के संबंध में कार्यवाही को दूसरे संविदाकारी राज्य के न्यायालयों अथवा प्रशासनिक निकायों के समक्ष नहीं लाया जाएगा। इस अनुच्छेद में ऐसा कुछ नहीं है जिसका अर्थ दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी न्यायालय अथवा प्रशासनिक निकाय के समक्ष ऐसी कार्यवाही के लिए किसी अधिकार का सृजन करना अथवा प्रदान करना लगाया जाएगा।

8. जहां पैराग्राफ 3 अथवा 4 के तहत किसी संविदाकारी राज्य द्वारा अनुरोध किए जाने के पश्चात् किसी समय और दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा संबंधित कर दावे को वसूल करने और प्रथमोल्लिखित राज्य में प्रेषित करने से पहले संबंधित कर दावा वहां निम्नलिखित के संबंध में समाप्त हो जाएगा:

(क) पैराग्राफ 3 के अंतर्गत अनुरोध के मामले में, प्रथमोल्लिखित राज्य का कोई कर दावा जो उस राज्य के कानूनों के तहत प्रवर्तनीय है और ऐसे व्यक्ति द्वारा देय है जो उस समय उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत इसकी वसूली रोक नहीं सकता; अथवा

(ख) पैराग्राफ 4 के अंतर्गत अनुरोध के मामले में, प्रथमोल्लिखित राज्य के कर दावे जिसके संबंध में वह राज्य अपने कानूनों के तहत इसकी वसूली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संरक्षण के उपाय करता है,

प्रथमोल्लिखित राज्य का सक्षम प्राधिकारी इस तथ्य को दूसरे राज्य के सक्षम प्राधिकारी को तत्काल अधिसूचित करेगा और दूसरे राज्य के विकल्प पर प्रथमोल्लिखित राज्य अपने अनुरोध को या तो आस्थगित करेगा या फिर हटा लेगा।

9. इस अनुच्छेद के किसी भी उपबंध का अर्थ दोनों में से किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित के लिए बाध्यता लागू करना नहीं लगाया जाएगा :

(क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना;

(ख) ऐसे उपाय करना जो लोक नीति (आर्डर पब्लिक) के विपरीत हों;

(ग) सहायता प्रदान करना यदि दूसरे संविदाकारी राज्य ने इसके कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा के अंतर्गत उपलब्ध वसूली अथवा संरक्षण, जैसा भी मामला हो, के सभी समुचित उपायों को न किया हो;

(घ) उन मामलों में सहायता प्रदान करना, जहां उस राज्य के लिए प्रशासनिक बोझ दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा उद्भूत किए जाने वाले लाभ से स्पष्ट रूप से अनुपातहीन हो।

### अनुच्छेद 3

1. संविदाकारी राज्य एक दूसरे को राजनयिक माध्यमों के जरिए अधिसूचित करेंगे कि इस संशोधनकारी प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए सभी कानूनी अपेक्षाएं और क्रियाविधियां पूरी कर ली गयी हैं।

2. यह संशोधनकारी प्रोटोकॉल जो इस अभिसमय का एक अभिन्न अंग होगा, ऐसी अधिसूचनाओं में से बाद वाली अधिसूचना की प्राप्ति की तारीख से प्रभावी होगा तथा इसके प्रावधान इसके प्रभावी होने की तारीख के तीसरे महीने की पहली तारीख से प्रभावी होंगे।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस संशोधनकारी प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं।

लजुबलजाना में 17 मई, 2016 को तारीख को हिन्दी, स्लोवेनियन और अंग्रेजी में दो प्रतियों में निष्पादित, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक। पाठों में भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

भारत गणराज्य की  
सरकार की ओर से:  
सर्वजीत चक्रवर्ती

स्लोवेनिया गणराज्य की  
सरकार की ओर से:  
दुशन ग्रामोर

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2017

**S.O. 3452 (E).**— Whereas, the Protocol, amending the Convention and the Protocol between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Slovenia for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income which was signed at Ljubljana on the 13<sup>th</sup> day of January, 2003, was signed at Ljubljana, Slovenia on the 17<sup>th</sup> May, 2016, as set out in the Annexure appended to this Notification and hereinafter referred to as the said amending Protocol;

And whereas, the date of entry into force of the said amending Protocol is the 21<sup>st</sup> December, 2016, being the date of the later of the notifications of completion of the legal requirements and procedures for giving effect to the said amending Protocol in accordance with paragraph 1 of Article 3 of the said amending Protocol;

And whereas, paragraph 2 of Article 3 of the said amending Protocol provides that the provisions of the same shall have effect from the first day of the third month next following the date on which it enters into force;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that all the provisions of the said amending Protocol, shall have effect in the Union of India with effect from the 1<sup>st</sup> day of March, 2017, being the first day of the third month next following the date on which the said amending Protocol entered into force.

[Notification No. 90/F. No. 501/04/1992-FTD-I]

PRAGYA S. SAXENA, Jt, Secy.

## PROTOCOL

### AMENDING THE CONVENTION AND THE PROTOCOL BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME, WHICH WAS SIGNED AT LJUBLJANA ON JANUARY 13, 2003

The Government of the Republic of India

and

The Government of the Republic of Slovenia

Desiring to conclude a Protocol (hereinafter referred to as “Amending Protocol”) to amend the Convention and the Protocol between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Slovenia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on income, which was signed at Ljubljana on January 13, 2003, and which entered into force on February 17, 2005 (hereinafter referred to as “Convention”),

Have agreed as follows:

#### Article 1

Article 26 (Exchange of Information) of the Convention shall be deleted and replaced by the following Article:

#### “Article 26

#### EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents or certified copies of the documents) as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both States and the competent authority of the supplying State authorizes such use.

3. In no case shall the provision of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

(a) To carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

(b) To supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting as an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.”

## Article 2

A new Article, as hereunder, shall be inserted after Article 26 and the remaining Articles shall be renumbered accordingly.

## “Article 27

### ASSISTANCE IN THE COLLECTION OF TAXES

1. The Contracting States shall lend assistance to each other in the collection of tax claims. The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode of application of this Article.

2. The term “tax claim” as used in this Article means an amount owed in respect of taxes as mentioned in Article 2, as well as interest, administrative penalties and costs of collection or conservancy related to such amount.

3. When a tax claim of a Contracting State is enforceable under the laws of that State and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that State, prevent its collection, that tax claim shall, at the request of the competent authority of the State, be accepted for purposes of collection by the competent authority of the other Contracting State. That tax claim shall be collected by that other State in accordance with the provisions of its laws applicable to the enforcement and collection of its own taxes as if the tax claim were a tax claim of that other State.

4. When a tax claim of a Contracting State is a claim in respect of which that State may, under its law, take measures of conservancy with a view to ensure its collection, that tax claim shall, at the request of the competent authority of that State be accepted for purposes of taking measures of conservancy by the competent authority of the other Contracting State. That other State shall take measures of conservancy in respect of that tax claim in accordance with the provisions of its laws as if the tax claim were a tax claim of that other State even if, at the time when such measures are applied, the tax claim is not enforceable in the first-mentioned state or is owed by a person who has a right to prevent its collection.

5. When a Contracting State may, under its law, take interim measures of conservancy by freezing of assets before a tax claim is raised against a person, the competent authority of the other Contracting State, if requested by the competent authority of the first mentioned State, shall take measures for freezing the assets of that person in that Contracting State in accordance with the provisions of its law.

6. Notwithstanding the provisions of paragraphs 3 and 4, a tax claim accepted by a Contracting State for purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that State, be subject to the time limits or accorded any priority applicable to a tax claim under the laws of that State by reason of its nature as such. In addition, a tax claim accepted by a Contracting State for the purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that State, have any priority applicable to that tax claim under the laws of the other Contracting State.

7. Proceedings with respect to the existence, validity or the amount of a tax claim of a Contracting State shall not be brought before the courts or administrative bodies of the other Contracting State. Nothing in this Article shall be construed as creating or providing any right to such proceedings before any court or administrative body of the other Contracting State.

8. Where, at any time after a request has been made by a Contracting State under paragraph 3 or 4 and before the other Contracting State has collected and remitted the relevant tax claim to the first-mentioned State, the relevant tax claim ceases to be:

(a) in the case of request under paragraph 3, a tax claim of the first-mentioned state that is enforceable under the laws of that state and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that State, prevent its collection, or

(b) in the case of a request under paragraph 4, a tax claim of the first-mentioned State in respect of which that State may, under its laws, take measures of conservancy with a view to ensure its collection, the competent

authority of the first-mentioned State shall promptly notify the competent authority of the other State of that fact and, at the option of the other State, the first-mentioned State shall either suspend or withdraw its request.

9. In no case shall the provisions of this Article be construed so as to impose on a contracting State the obligation:

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

(b) to carry out measures which would be contrary to public policy (ordre public);

(c) to provide assistance if the other Contracting State has not pursued all reasonable measures of collection or conservancy, as the case may be, available under its laws or administrative practice;

(d) to provide assistance in those cases where the administrative burden for that State is clearly disproportionate to the benefit to be derived by the other Contracting State.”

### Article 3

1. The Contracting States shall notify each other through diplomatic channels that all legal requirements and procedures necessary for entry into force of this Amending Protocol have been completed.

2. The Amending Protocol, which shall form an integral part of the convention, shall enter into force on the date of receipt of the last notification and its provisions shall have effect from the first day of the third month next following the date on which it enters into force.

In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Amending Protocol.

Done in duplicate at Ljubljana this Seventeenth day of May 2016 in the Hindi, Slovenian and English languages, all the texts being equally authentic. In case of divergence among the texts, the English text shall be the operative one.

For the

Government of the

Republic of India:

Sarvajit Chakravarti  
Ambassador of the Republic of India  
to the Republic of Slovenia

For the

Government of the

Republic of Slovenia:

Dusan Mramor, Dr. Sc  
Minister of Finance